

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1601/2015/सीकर.

मैसर्स पुरोहित एजेंसीज प्रा0 लिमिटेड,
कोतवाली रोड, सीकर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सीकर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. सी. अग्रवाल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/08/2016


निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.06.2015 में पारित किये गये आदेश क्रमांक प.1(29)उपा-1/वैट/धारा-34/2015-16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सीकर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2012-13 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये नोटिस दिनांक 03.03.2014 सुनवाई दिनांक 18.3.2014 की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 22, 55 सपठित नियम 19ए के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.03.2014 पारित करते हुए रुपये 40,97,473/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को अपास्त करते हुए, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 25.06.2015 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 02.07.2015 से निरस्त किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए भारी मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 22 व 55 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु नोटिस क्रमशः दिनांक 27.09.2013 व 18.03.2014 के लिये जारी किये गये, जो कि व्यवहारी को तामील भी हो गये। किन्तु उक्त नोटिसों की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ना तो वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं ना ही नियत दिनांक को वह असालतन या वकालतन कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। व्यवहारी द्वारा वेट-10ए आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की समयावधि को मद्देनजर रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वक्त कर निर्धारण उपस्थित नहीं हो सकने एवं वेट-10ए प्रस्तुत नहीं किये जा सकने का कोई युक्तियुक्त कारण ना तो प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं ना ही माननीय कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रशासनिक अधिकारी ने अपीलार्थी का धारा 34 का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2012-13 के कर निर्धारण के लिये नोटिस दिनांक 21.09.2013 सुनवाई दिनांक 27.09.2013 एवं नोटिस दिनांक 03.03.2014 सुनवाई दिनांक 18.03.2014 के




 लगातार.....3

लिये जारी किये गये हैं, जो अपीलार्थी व्यवहारी को प्राप्त होना पाये जाते हैं। उक्त नोटिसों की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं, किन्तु प्रपत्र वैट-10ए (वार्षिक विवरण प्रपत्र) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकने का कारण भी उल्लेखित नहीं किया है। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 22 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। वैट अधिनियम की धारा 22 निम्न प्रकार है -

22. Assessment on failure to deposit tax. -

- (1) Where a dealer has failed to deposit tax in accordance with the provisions of section 20 within the notified period, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, without prejudice to the penal provisions in this Act, after making such enquiry as it may consider necessary and after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, assess tax for that period to the best of his judgment.
- (2) The tax assessed under sub-section (1), after adjustment of input tax credit and the amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of notice of demand. However, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, after recording reasons in writing, may reduce such period.
- (3) The tax deposited under sub-section (2) shall be adjusted in the assessment for the relevant period.


7. उक्त प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि व्यवहारी के देय कर जमा कराने में विफल होने पर कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त, आई.टी.सी. का समायोजन करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित करेंगे। हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. का समायोजन किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए व्यवहारी का धारा 34 का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया है, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।




लगातार.....4

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2015 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 18.03.2014 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण से सम्बन्धित वांछित समस्त दस्तावेज सहित दिनांक 26.09.2016 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कर निर्धारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

9. निर्णय सुनाया गया।


28.08.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष